

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या- 347 /नौ-4-18-5ईओ/2018
लखनऊ: दिनांक-01 फरवरी, 2018
कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित नगर निकायों में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार कालम-3 में उल्लिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र०	निकाय का नाम	उप जिलाधिकारी का नाम व पदनाम जिनका अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
1	2	3
1	नगर पालिका परिषद, अनूपशहर (बुलन्दशहर)	श्री सदानन्द गुप्ता, उप जिलाधिकारी, अनूपशहर (बुलन्दशहर)
2	नगर पालिका परिषद, डिबाई (बुलन्दशहर)	श्री उमाशंकर, उप जिलाधिकारी, डिबाई (बुलन्दशहर)
3	नगर पंचायत नरौरा (बुलन्दशहर)	श्री हिमान्शु कुमार गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर जनपद बुलन्दशहर
4	नगर पंचायत बी०बी० नगर (बुलन्दशहर)	श्री संजय कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, स्याना (बुलन्दशहर)

2. उक्त निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-347 (1)/नौ-4-18-5ईओ/2018 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, अनूपशहर (बुलन्दशहर), डिबाई (बुलन्दशहर), नरौरा (बुलन्दशहर) व बी०बी०नगर (बुलन्दशहर)।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।